तारा का पता: ''मिनीस्टील''
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सं०

No.

31016/2/2009-सा.प्र.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

दिाकं 8/5/2009

सेवा में,

संलग सूची के आुसार

विषय:-इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2009-10 कीट -नियन्त्रण (पेस्ट कन्ट्रोल) का छिड़काव हेतु निविदाये मंगाने के सम्बध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपकी फर्म उपरोक्त कार्य को कराने की इच्छुक है । तो निविदाए दिनाकं 18.05.2009 को सुबह 11.00 बजे तक कक्ष सं. 74, उद्योग भवन में भेजी जा सकती है । प्राप्त निविदाओं कों उसी दिन सुबह 11.30 बजे आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाऐगा । निविदा के साथ 5,000 रूपये का बैक ड्राफट (वेतन एंव लेखा अधिकारी के नाम देय) भी अवश्य सलंग्न करे अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जएगा ।

2 इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्रधिकरी के पास बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।
3 निविदा से संबंधित शर्ते सलंग्न है।

भवदीय,

(एस.पी.त्यागी)
अुभाग अधिकारी

प्रति_: NIC, इस्पात मत्रांलय की website पर दर्शाने के अनुरोध के साथ ।

प्रथाव्य न का
<u>शर्तें:-</u>

1. कीटनाशी, दीमकनाशी, कोकनाशी आदि का छिड़काव कक्षों, गलियारों एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों जैसे इस्पात मंत्री के निवास कार्यालय आदि के लिए होगा ।
2. अनुबन्धकर्ता फर्म को कीटनाशी छिड़काव से सम्बन्धित सभी मशीनें एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में, प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओं/ पदार्थों के नामों का उल्लेख करना होगा ।
3. ~~यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह~~ मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रों को कीट,दीमक आदि से मुक्त रखें इसके लिए वह प्रशिक्षित कर्मी रखें किसी भी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रालय द्वारा वहन नहीं किया जाएगा ।
4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है । इसका उत्तरदायित्व अनुबन्धित फर्म का होगा ।
5. फर्म को जमानत राशि के रूप में 5000/- ~~का डिमांड ड्राफ्ट वेतन एवं लेखा~~ कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तों का उल्लघंन करने पर इसका हर्जाना फर्म को भरना होगा ।
6. सक्षम प्रधिकारी को किसी भी समय अनुबन्ध को बिना कारण बताए समाप्त करने सम्बन्धी समस्त अधिकार प्राप्त है ।
7. सेवा कर /बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।
8. अनुबन्ध की अवधि फर्म को अनुबन्ध पत्र देने की तारीख से अगले एक वर्ष के लिए होगी ।
9. कार्य सम्पादन के बाद बिल(तीन प्रतियों में) कार्य संतोषजनक होने के प्रमाणपत्र (सम्बिन्धित अधिकारी द्वारा) सहित प्रस्तुत करना होगा । इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।
10. सम्बन्धित फर्म को बताना होगा कि उनके द्वारा किया गया pest control कितने दिन तक प्रभावी होगा।
11.

एस० पी० त्यागी
अनुभाग अधिकारी
इस्पात मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली